RESEARCH PAPER

Research Review Journal of Social Science
e-ISSN: 2583-2867 | Vol-02 | No-01 | Jan-Jun 2022 | pp. 17-20
Double-Blind Peer Reviewed/ Refereed Bi-annual Journal

Indian Mahadalit Problem: A Sociological Study

भारतीय महादलित समस्या: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

*Archana Kumari

Research Scholar, Department of Sociology, Veer Kunwar Singh University, Arrah

Abstract

India has a Varna dominated social system. Today we know it as Hindu social system. It is a brahmin varna dominated, brahmin varna centric social system. In this system, the higher the varna or varna is, the more their rights are wide. On the other hand, the lower the varna or class is, the more it is deprived of its human rights. Shudra Varna is one of them. It is known as Mahadalit in modern times, not only this, in some states, the government has also called it Mahadalit. In Indian society, the word Mahadalit refers to a person or community who is neglected and oppressed from all walks of society. It can be said that the people who are traditionally considered as untouchables in the society are neglected and suppressed in all areas. They will be called Mahadalits because their status is different in the varna and caste system. In the Indian society, despite efforts by various social reformers, politicians and governments to solve the problems of Mahadalits, their problems could not be solved properly. Untouchability and purposeless discrimination against Mahadalits continue in India even after reaching the age of globalization. Therefore, unless the human rights towards Mahadalits are fully protected in Hinduism, they are not empowered socially, politically, economically, educationally and religiously. Till then it is not possible to solve the problems of Mahadalits in Indian society.

Keywords: *Varna system, social structure, untouchability, untouchability, Mahadalit problem*

Abstract in Hindi Language:

भारत में वर्ण वर्चस्वादी सामाजिक व्यवस्था है। आज हम इसे हिन्दू समाज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। यह ब्राह्मणवर्ण वर्चस्वादी, ब्राह्मणवर्ण केन्द्रित समाज व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जो वर्ण या वर्ण जितनी ऊँचाई पर है उतने ही उनके अधिकार व्यापक है। दूसरी तरफ जो वर्ण या वर्ग जितने नीचले स्थान पर हैं उतना ही वह अपने मानवी अधिकारों से वंचित है। शूद्र वर्ण इन्हीं में से एक है। इसे आधुनिक काल में महादलित के नाम से जाना जाता है, इतना ही नहीं किसी–किसी राज्य में तो सरकार ने इसे महादलित भी कहा है। भारतीय समाज में महादलित शब्द से अभिप्राय उस व्यक्ति या समुदाय से है जो समाज के सभी क्षेत्रों से उपेक्षित एवं दबा कुचला हो। यह कह जा सकता है कि समाज में परंपरागत रूप से अछूत माने जाने वाले लोग सभी क्षेत्रों में उपेक्षित एवं दबा हुआ है। वे ही महादलित कहे जायेंगे क्योंकि वर्ण एवं जाति व्यवस्था में इनका दर्जा भिन्न है। भारतीय समाज में विभिन्न समाज सुधरकों, राजनेताओं एवं सरकारों के द्वारा महादलितों की समस्या निवारण प्रयासों के बावजूद भी इनकी समस्याओं का उचित हल नहीं निकाला जा सका है। वैश्वीकरण के दौर में पहुँचकर भी भारत में महादलितों के प्रति अस्पृश्यता और उद्देश्यरहित विभेद बरकरार है। इसलिए जबतक हिन्दू धर्म में महादलितों के प्रति मानवाधिकारों को पूरी तरह से संरक्षण नहीं दिया जाता, इन्हें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक रूप से सशक्त नहीं किया जाता। तब तक भारतीय समाज में महादलितों की समस्याओं का समाधन किया जाना संभव नहीं है।

Keywords: *वर्ण–व्यवस्था, सामाजिक संरचना, अस्पृश्यता, छुआछूत, महादलित समस्या*

Article Publication

Published Online: 15-Jul-2022

***Author's Correspondence**

Archana Kumari

Research Scholar, Department of Sociology, Veer Kunwar Singh University, Arrah

pinkykumari68324[at]gmail.com

© 2022 The Authors. Published by Research Review Journal of Social Science. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

महादलित की समस्याओं का एक लंबा इतिहास रहा है। इनकी समस्याओं का बहुत बड़ा काल धर्म से संबंधित था। जो चार युगों की समस्या है जिसे क्रमशः वैदिक धर्म युग, पौराणिक धर्म युग और वर्तमान में हिन्दू धर्म युग कहा जा सकता है। सबसे पहले वैदिक युग में महादलितों की समस्या उत्पन्न हुई थी, क्योंकि महादलित वैदिक धर्म से आत्मसात् नहीं थे, इसके बावजूद वे चातुर्णिक समाज के ग्राम और नगर के सेवक थे। उन्हें इस समाज की किसी भी संस्था की सदस्यता प्राप्त नहीं थी। वे अपने को समाज के भयवश या स्वयं नियुक्त स्वयंसेवक समझते थे। समाज से स्वतंत्र रहकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। महादलितों की मूल समस्या थी, संपूर्ण समाज से उनका अलगाव या बहिष्कार। जिस कारण गांव के एकान्त में उनका वास होता था। महादलित को अद्विज की श्रेणी में रखा गया था और इन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था। महादलितों को अपनी पहचान बताने के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी कलाई या गर्दन में एक काला धागा बांध कर रखे, जिससे लोग उनकी स्पर्श से अपवित्र हो जाने से बच सके। सवर्णों के सामने से महादलित का गुजरना भी बड़ा कठिन होता था क्योंकि इनकी परछाई पड़ने से सवर्ण अपवित्र हो जाते थे।

भारतीय समाज के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने से यह जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ के समाज में हिन्दू धर्म वर्ण व्यवस्था के आधार पर चार वर्णों में विभक्त है, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र के नाम से जाना जाता है।[1] वर्ण-व्यवस्था को सामाजिक संगठन का स्थायी आधार बनाये रखने के लिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से उद्धृत किया गया है। आरंभ में वर्ण विभाजन जन्मजात नहीं था। वह एक प्रकार का श्रम-विभाजन था। इसमें यह कठोरता नहीं थी जो बाद में वर्ण-व्यवस्था एवं जाति-व्यवस्था का अभिन्न विशेषता बन गयी। जिससे समाज में वर्ण-विभाजन को जन्म के आधार पर निरूपित किया जाने लगा और वर्ण के अनुसार कर्म का निर्धारण कर दिया गया। जिसमें शीर्ष स्थान ब्राह्मण को और सबसे निम्न स्थान शूद्र को दिया गया। शूद्रों का कार्य उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करना निर्धारित कर दिया गया और तभी से इनकी स्थिति भारतीय समाज में दयनीय हो गयी। आधुनिक काल में शूद्र को ही महादलित के नाम से जाना जाता है। जिसका भारतीय संवैधानिक शब्द अनुसूचित जाति है।

भारतीय समाज में ऐसी भी भ्रांतिया प्रचलित थी कि महादलितों के स्पर्श से वायु भी दूषित हो जाती है। मनुस्मृति भी महादलितों के क्रियाकलाप और इनके लिए समाज में बनाये गए शोषणकारी व दमनकारी नियम की व्याख्या करता है। पेशवाओं के शासनकाल में महादलित को जमीन पर थूकने तक की मनाही थी इसलिए इनके गले में मटके बांध दिये जाते थे। पूना में महादलितों को अपने कमर में झाड़ू बांधकर चलना अनिवार्य कर दिया गया था, क्योंकि उनके चलने से रास्ते का धूल साफ होता रहे और उस रास्ते से चलने वाला कोई सवर्ण अपवित्र न हो सके।[2] सर्वणों द्वारा महादलितों पर किये गये अत्याचार के विरूद्ध शिकायत करने का अधिकार भी महादलितों को प्राप्त नहीं था। यदि कोई महादलित शिकायत करता तो वह स्वयं ही दंड का भागीदार बन जाता था।[3] महादलितों को सवर्णों के कुओं, तालाबों और सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीन तक का मनाही था। यदि आवश्यकता पड़ने पर इनके द्वारा चोरी, छिपे पानी पीते या निकालते हुए देख लिया जाता तो उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था साथ ही पुरे जलाशयों, कुओं एवं तालाबों को भी अपवित्र मान लिया जाता था। इसका स्पष्ट उदाहरण महाराष्ट्र के महार स्थित चावदार तालाब है।

समाज में अस्पृश्यता अपनी चरमसीमा पर थी। किसी भी प्रकार के सामाजिक उत्सवों में महादलितों को सम्मिलित नहीं होने दिया जाता था। उन्हें समाज में सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया था।[4] महादलितों की स्थिति समाज में कुत्ते, बिल्ली से भी बदतर थी, क्योंकि इन जानवरों को घर में चले जाने से उन्हें छूत नहीं लगती थी, किन्तु कोई महादलित उनके घर किसी काम से चला जाता तो उनका घर अपवित्र हो जाता था।[5] समाज में महादलितों को अपना अच्छा नाम रखने पर भी प्रतिबंध था उन्हें अपना नाम मात्र गंदे स्थान या वस्तु के नाम पर ही रखना पड़ता था।[6] जब सवर्णों द्वारा किसी महादलित का नाम पुकारा जाता था तो उनके नाम के अंत में अधिकतर आ, या, रा इत्यादि शब्द को जोड़ दिया जाता था, जैसे हर के हरिया, छेदी को छेदिया, बुद्ध को बुद्धुआ, गोबरा, गोबरी इत्यादि महादलितों के शव को सवर्ण जलाने तक नहीं देते थे, इसलिए भंगीयों के द्वारा एक नई प्रथा शुरू की गई थी। इसके तहत वे लोग शव को जमीन में सिर के

बल गाड़ते थे। जिससे उनमें और दूसरों में अंतर दिखे। अन्य लोगों में शव को चित लिटाकर गाड़ने या जलाने की प्रथा प्रचलित थी।[7] हिन्दू समाज व्यवस्था में जो व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं वे आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए थे। समाज में महादलितों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही चिंतनीय थी। इसका प्रभाव उनके खान-पान और वेश-भूषा से स्पष्ट दिखाई पड़ता था। इस बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि हर दिन उन्हें खाना मिल जाय। कभी जंगल के गुलर का फल खाकर अपना गुजर-बसर करना, पड़ता था तो कभी-कभी वे सिर्फ पानी पीकर और पेट को रस्सी से बांधकर भूखे रह जाते थे। बलाई नामक जाति को गेहूँ का आटा खाने पर भी प्रतिबंध किया गया था।[8] महादलितों को खाने में घी, हलवा आदि का प्रयोग भी वर्जित था। इनको धातु के बर्त्तन का प्रयोग करना वर्जित था। वे मात्र मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग कर सकते थे। यदि कोई महादलित इन प्रतिबंधित किया गया कार्य का उल्लंघन करता पाया जाता तो उसे दंड का भागी होना पड़ता था।[9] महादलित की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे अपना और अपने परिवार के सदस्यों का तन ढ़कने के लिए सस्ते मूल्य के कपड़ा तक को नहीं खरीद पाते थे। श्मशान में फेके गए मृतकों के कपड़ों से ही अपना तन ढका करते थे।[10]

महादलितों का शोषण समाज के सेठ साहुकार भी किया करते थे। ये लोग हड़प नीति अपनाए हुए थे, लिए गए कर्ज नहीं चुकाये जाने पर वे महादलितों का सबकुछ हड़प लेते थे, फिर उनका मनचाहे ढंग से शोषण किया करते थे। पेशवाओं के शासनकाल में खोती पद्धति के तहत ब्राह्मण, महादलितों को खेत फसल बोने के लिए देते थे। उनसे उपज का कुल 3/4 भाग फसल बलपूर्वक प्राप्त करते थे।[11] महादलितों को किसी भी माध्यम से धन संचय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था अगर वे ऐसा करते तो उनकी संपत्ति जप्त कर ली जाती थी।

सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की तरह महादलितों की अपनी धार्मिक समस्या भी थी। इनमें शिक्षा का घोर अभाव था। अशिक्षा के कारण वे ग्रह, नक्षत्र, भाग्य, दुर्भाग्य, भूत-प्रेत, जादू-टोना आदि अंधविश्वासों को पूर्णतः विश्वास करते थे।[12] वे नवनिर्मित नहर, जलाशयों से सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करने से भी कतराते थे। अंधविश्वास में जकड़े महादलित समाज के अपनी निजी देवता भी होते थे। जिसकी पूजा-अर्चना वे स्वयं करते थे। वे प्राकृतिक में होने वाले आकस्मिक घटना से भी भयभित होकर पुजा-अर्चना आदि किया करते थे। महादलितों को मन्दिर प्रवेश करना वर्जित था। यहाँ तक कि वे मंदिर के निकट भी नहीं जा सकते थे। यदि कोई महादलित उसका उल्लंघन करता तो उसे सजा दी जाती थी। उस मंदिर को भी अपवित्र मान लिया जाता था फिर मंदिर शुद्धिकरण करने के पश्चात् ही वहाँ लोग पुजा करते थे।[13] मंदिरों पर ब्राह्मणों का कब्जा था। इसमें सभी पुजारी ब्राह्मण ही होते थे। वे ही पूजा-पाठ करते या कराते थे। उत्तर भारत के महादलितों की यही समस्या थी। यहाँ उन्हें मंदिर प्रवेश तो वर्जित था ही इसके अलावे वह भगवान की मूर्ति तक अपने घर में नहीं रख सकते थे।[14] इन्हें पूजा करने का अधिकार नहीं होने के कारण ब्राह्मणों द्वारा प्रायः ठगे जाते थे। किसी भी दोष को दूर करने के लिए उन्हें ब्राह्मणों को दान देना पड़ता था।[15] दान-दक्षिणा के नाम पर भी उन्हें ब्राह्मणों द्वारा शोषण किया जाता था। अधिकतर ब्रह्मण पुरोहित महादलित के किसी भी संस्कार में नहीं जाया करते थे। यदि कभी कोई चाटूकार ब्राह्मण इसके घर बुलाने पर लोभवश चले भी गए तो वे पूजा-पाठ, विवाह संस्कार आदि उचित ढंग से नहीं कराते थे।

किसी व्यक्ति और समाज की सामाजिक, आर्थिक, उन्नति एवं धार्मिक क्रियाकलापों को समझने के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। लेकिन उच्च जातियों द्वारा प्रताड़ना के कारण इसका लाभ उठाने से वंचित रह जाते थे। भारतीय समाज में महादलितों को प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति बहुत ही खराब थी। इन्हें शिक्षा प्राप्त करने लिए विद्यालय में प्रवेश मिल पाना बहुत ही कठिन होता था। यदि किसी तरह से प्रवेश मिल भी जाता तो वहाँ इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। विद्यालय में सवर्ण विद्यार्थी आगे बैठते थे। महादलित विद्यार्थी इनसे दूर हटकर पीछे बैठते थे। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में महादलित विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर बरामडे पर बैठाया जाता था।[16] विद्यालय में शिक्षण कार्य केवल ब्राह्मण शिक्षक ही किया करते थे। वे इन महादलित विद्यार्थियों को घृणा की दृष्टि से देखते और इनकी नोट-बुक को हाथ तक नहीं लगाते थे। संस्कृत विषय का पठन-पाठन पर महादलितों का कोई अधिकार नहीं था

क्योंकि ऐसा माना जाता था कि महादलितों को संस्कृत पढ़ने से हिन्दू धर्म भ्रष्ट हो जायेगा। प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो जाने के कारण महादलितों की उच्च शिक्षा में स्थिति अत्यंत ही खराब थी।

भारत में 18वीं शदी तक महादलितों को समस्या निवारण के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये थे। 19वीं शताब्दी का आधुनिक भारत पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार का काल माना जाता था। इसी समय कई ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने महादलितों की समस्याओं के निवारण के लिए कई प्रयास किए जिनमें प्रमुख थे स्वामी विवेकानंद, शशिपंथ बंधोपाध्याय, महादेव गोविंद राणाडे, कर्नल आल्कॉट, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, ठक्कर बाप्पा, महाराजा साहुजी इत्यादि इसके अलावे दूसरी तरफ वर्ण–व्यवस्था एवं जातीय व्यवस्था से पीड़ित लोग भी इस समस्या से निवारण के लिए अपना अथक प्रयास किये जिनमें प्रमुख थे ज्योतिबा राव फूले, डॉ॰ भीम राव अम्बेडकर, रामास्वामी ई॰ पेरियार, नरायण गुरु, बिहार के गांधी जगलाल चौधरी, बाबू जगजीवन राम, बहुजन नायक मान्यवर कांसी राम, भोला पासवान, जननायक कर्पूरी ठाकुर इत्यादि।

विभिन्न समाज सुधारकों, राजनेताओं एवं शासकों के समस्त प्रयासों के वावजूद भी 20 वी॰ सदी तक महादलितों की समस्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर बड़े पैमाने पर अमानवीय अत्याचार किसे जा रहे हैं। भारत में आज भी हिन्दू धर्म के कुछ रक्षक या समर्थक अछूतपन, जाति भेद, वर्ण–वर्चस्व को ही धर्म संगत और आवश्यक मानते हैं। जिस कारण महादलित समाज हिन्दू धर्म के इन पृथकवादी अन्यायपूर्ण तथा असमानता से परेशान होकर अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि जबतक हिन्दू धर्म में महादलितों के मानवाधिकारों का पूरी तरह से संरक्षण नहीं दी जायेगी, उसे समाज के सभी दशाओं से सशक्त कर, राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं दी जायेगी तब तक भारतीय समाज में महादलितों की समस्या का समाधान संभव नहीं हो पायेगा और समस्या बनी रहेगी।

संदर्भ:

1- जी॰ एस॰ धुय, *कास्ट एण्ड रेस इन इंडिया,* पृ॰ 1–2
2- डॉ॰ एल॰ जी॰ मेश्राम विमल कीर्ति : *महात्मा ज्योतिबा राव फुले रचनावली,* खण्ड 01, पृ॰ 145
3- वही, पृ॰ 144
4- देवेन्द्र कुमार वेसेंतरी, *भारत के सामाजिक क्रांतिकारी,* पृ॰ 167
5- *मुकनायक* अंक–14, 14 अगस्त, 1920 बंबई
6- मनुस्मृति अनु॰ पो॰ ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी अध्याय 02, पृ॰ 32
7- मिलाप समाचार पत्र, जून 1924 दिल्ली
8- डॉ॰ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, *संपूर्ण वाङ्मय,* खण्ड–1, पृ॰ 82
9- वही, खण्ड 58
10- डॉ॰ एल॰ जी॰ मेश्राम विमन कीर्ति: पूर्वोक्त, खण्ड–01, पृ॰ 61–62
11- वही, पृ॰ 210
12- वही, पृ॰ 16–17
13- देवेन्द्र कुमार बेसेंतरी : पूर्वोक्त, पृ॰ 167
14- बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, *संपूर्ण वाङ्मय,* खण्ड 9, पृ॰ 66
15- डॉ॰ एल॰ जी॰ मेश्राम विमल कीर्ति: पूर्वोक्त, खण्ड–01, पृ॰ 19
16- तेज समाचारपत्र, 11 अप्रैल, 1924 दिल्ली।